भ्रष्टाचार पर नकेल

केंद्र सरकार ने आयकर विभाग के 12 भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत करने का सराहनीय निर्णय लिया है. वरिष्ठ और अहम पदों पर बैठे भारतीय राजस्व सेवा के इन दंडित अधिकारियों पर रिश्वतखोरी, उगाही, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आयकर विभाग आर्थिक और वित्तीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मेहनत और ईमानदारी से अर्जित आय पर कर का भुगतान करनेवाले करदाताओं के बरक्स एक श्रेणी ऐसे लोगों की भी है, जो भ्रष्ट अधिकारियों से सांठ-गांठ कर करोड़ों रुपये की कर चोरी करते हैं. वित्तीय लेन-देन और कराधान की प्रक्रिया को सुगम, सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए हाल के वर्षों में सरकार द्वारा अनेक पहलें हुई हैं. लेकिन, प्रशासनिक तंत्र में अगर भ्रष्टाचार और कदाचार का माहौल बरकरार रहेगा, तो सरकार की पहलकदमी बेअसर हो सकती है. ऐसे में केंद्र सरकार ने संकेत दे दिया है कि न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जायेगा और न ही भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा जायेगा. केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2018 में जनवरी से नवंबर तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध 206 मामले दर्ज कराये गये थे. यह संख्या 2017 में 338, 2016 में 400 तथा 2015 में 441 रही थी. साल 2015 से 2018 के बीच केंद्र सरकार ने 23 मामलों में आरोपी 17 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी थी. भ्रष्टाचार के आरोपी भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के कई अधिकारियों के साथ भी सरकार सख्ती से पेश आ चुकी है. लेकिन नौकरशाही में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिससे निपटना आसान नहीं है. सरकार को कार्रवाई करने में ज्यादा मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है. केंद्रीय जांच ब्यूरो आधे से भी कम मामलों में सालभर के भीतर अभियोग पत्र दाखिल कर पाती है. अभी राजस्व सेवा के जिन अधिकारियों की आयकर विभाग से छुट्टी हुई है, उनमें से ज्यादातार लंबे समय से गंभीर आरोपों के घेरे में हैं. उधर कानूनी पचड़ों में मामले लटके रहते हैं और इधर दागी अधिकारी पदों पर भी जमे रहते हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के आरोपी 123 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है. नियमों के मुताबिक, चार महीने के भीतर सरकार के संबद्ध विभागों को मंजूरी पर फैसला कर लेना चाहिए. इन अधिकारियों में प्रशासनिक सेवा में कार्यरत लोगों के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी हैं. देश के पहले लोकपाल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की उम्मीदों को बल मिला है. परंतु, चार महीने बीत जाने के बाद भी इस संस्था में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं हो सका है. सेवा से हटाने जैसे कड़े फैसलों के साथ मामलों के निपटारे की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए.

आयकर विभाग के 12 भ्रष्ट अधिकारियों की छुट्टी करके केंद्र सरकार ने संकेत दे दिया है कि न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जायेगा और न ही भ्रष्ट अधिकारियों को.

केंद्रीय बजट में क्या न करें

अजीत रानाडे
सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन
editor@thebillionpress.org

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी पांच जुलाई को केंद्र का अपना पहला बजट संसद में पेश करनेवाली हैं. सीतारमण ने, नागरिकों को यह आश्वासन देते हुए कि उनके प्रत्येक सुझाव पर गौर किया जायेगा, बजट के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान भी किया है. यह प्रक्रिया निश्चित रूप से अधिक समावेशी है, जो सामूहिक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करती है. मगर, इसमें एक विडंबना भी संभावित है कि ज्यादातर सुझाव 'क्या नहीं किया जाना चाहिए' की बजाय 'क्या किया जाना है' पर केंद्रित रहेंगे.

इसलिए, पहले बिंदु पर आगे बढ़ने के पहले कुछ अवलोकनों पर गौर कर लेना प्रासंगिक होगा. प्रथमतः, यह बजट पूरे वर्ष का बजट नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आगामी फरवरी में ही पेश किया जायेगा. दूसरे, चूंकि यह इस नवनिर्वाचित सरकार का पहला वर्ष है, इसलिए वित्तमंत्री तथा सरकार दोनों के लिए ही यह एक अवसर है कि वे अपने एजेंडे के फलसफे का खाका सामने रखें. प्रधानमंत्री को हासिल विशाल बहुमत उन्हें वह प्रभूत सियासी पूंजी प्रदान करता है, जिसके बल पर वे अल्पावधि में आर्थिक पीड़ा देने वाले, पर दीर्घावधि में लाभदायक फैसले ले सकते हैं. तीसरा बिंदु यह है कि यह बजट परवान चढ़ते व्यापार युद्ध, कठिन सुखाड़-सी स्थिति, जीडीपी वृद्धि में तीन वर्षों से जारी मंदी, राजकोष एवं चालू खाते के घाटे की बिगड़ती स्थिति के साथ ही रोजगार विहीन विकास के संकेतों की पीठिका में लाया जा रहा है. ये सभी कठिन चुनौतियां हैं और यह सही है कि कोई एक बजट इन सभी के लिए जादू की छड़ी नहीं बन सकता. पर वह आर्थिक वृद्धि की दिशा में आगे की राह का जमीनी आकलन कर राजस्व तथा व्यय की तदनुरूप दिशा अवश्य निर्धारित कर सकता है. उसे उपभोग में वृद्धि, निजी निवेश के पुनर्जीवन, उद्यमी गतिविधियों में तेजी तथा खाते के संतुलन के संकेत तो देने ही चाहिए.

क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस दिशा में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: पहला, कर जाल को व्यापक करने की दिशा से पीछे जाने की प्रवृत्ति छोड़ी जानी चाहिए. प्रधानमंत्री स्वयं यह सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं कि वे 10 करोड़ लोगों को कर दायरे में लाना चाहेंगे. जीडीपी की तुलना में कर, खासकर प्रत्यक्ष कर का भारतीय अनुपात विश्व में सर्वाधिक निम्न है. कुछ ही वर्षों पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण ने यह खुलासा किया कि मतदाताओं की तुलना में करदाताओं का अनुपात देखने पर भारत विश्व में निम्नतम पायदान पर है, क्योंकि यहां प्रत्येक सौ मतदाताओं पर सिर्फ सात करदाता हैं. बहुत से उत्तर यूरोपीय देशों में शत प्रतिशत मतदाता करदाता भी हैं. हमें इस असंतुलन में कमी लानी ही चाहिए. इस वर्ष फरवरी में पेश अंतरिम बजट ने कर सीमा इतनी बढ़ा डाली कि तकरीबन तीन करोड़ करदाता उससे बाहर हो गये. संभव है, ऐसा चुनावी नजरिये अथवा उपभोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया हो, पर यह एक गलत संकेत देता है. यह सही है कि निम्न आय वर्गों के लिए प्रत्यक्ष कर का बोझ हल्का रखा जाये, पर इस जाल से बाहर वालों की तादाद कम होनी ही चाहिए. भारत को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि तथा उसकी तुलना में ऊंचे अप्रत्यक्ष करों में कमी लाने की ओर भी प्रगति करनी चाहिए.

भारत में आय तथा संपदा संबंधी असंतुलन पहले से ही गंभीर चिंता की वजह रही है. अब हमें प्रत्यक्ष करों की अधिक हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है. अतः जीएसटी दरों को और तार्किक तथा निम्नतर किया जाना चाहिए.

दूसरा, कृपया कोई और उपकर (सेस) न लगायें. उपकर केंद्र सरकार के विशेषाधिकार हैं, जिन्हें सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों यानी जीएसटी के ऊपर थोप सकती है. इन्हें राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं किया जाता और ये वित्त आयोग द्वारा केंद्र-राज्य के बीच कर राजस्व के बंटवारे की सीमा से बाहर होते हैं. दरअसल, उपकर केवल असामान्य स्थिति में ही लगाये जाने चाहिए, पर अभी तो ये केंद्र सरकार द्वारा संगृहीत प्रत्यक्ष करों के 10 प्रतिशत के लगभग तक हैं. अच्छा तो यह होगा कि इन्हें लगाया ही नहीं जाये, पर कम से कम उनमें कोई वृद्धि तो नहीं ही की जानी चाहिए.

तीसरा, बहुत सारे परस्पर विरोधी संकेत देने से बचा जाना चाहिए. जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उनमें एक तो कर जाल व्यापक करने के इरादे के साथ ही कर सीमा में छूट देना है. इसका दूसरा उदाहरण खाद्य मुद्रास्फीति को निम्न एवं स्थिर रखने हेतु प्रतिबद्ध होते हुए भी न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को लागत के 150 प्रतिशत पर निर्धारित करने की मंशा है, जो खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी ही लायेगी. ये परस्पर विरोधी इरादे लागतें कम करने अथवा जलवायु एवं जलविज्ञान अनुकूल उपजों को बढ़ावा देने के संकेत तो नहीं ही देते हैं. क्या यह उचित है कि एक ऐसे क्षेत्र में ईंख उपजायी जाये, जो जल संकटग्रस्त है और उस पर भी उसके एमएसपी को ऊंचा रखा जाये? यह एक और बात है कि एमएसपी की यह नीति इसलिए भी असफल है कि उसके अंतर्गत मूल्य का आश्वासन तो दे दिया गया, पर खरीदी जाने वाली मात्रा का नहीं. इस वजह से किसानों की आय अनुमान के अनुसार नहीं बढ़ सकी. यदि किसानों की आय में वृद्धि लानी है, तो इसे एमएसपी बढ़ाने की बजाय पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरह प्रत्यक्ष नकद अंतरण द्वारा ही किया जाना चाहिए. एक तरफ तो सरकार ब्याज दरों में कमी लाना चाहती है, ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जा सके और दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि से ऋण की ब्याज दर बढ़ा दी जाती है. इनसे परस्पर विरोधी संकेत जाते हैं.

चौथा सुझाव यह है कि विशिष्ट छूटों और प्रोत्साहनों की बहुतायत से बचा जाना चाहिए. बजट भाषण ऐसा न हो कि उसमें कई गतिविधियों पर सौ करोड़ रुपये तक के आवंटनों की भी चर्चा समाहित हो. यह सूक्ष्म संकेतों की इंतहा है, जिन्हें मंत्रियों के व्यक्तिगत विवेक अथवा राज्य एवं स्थानीय सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए. बेहतर हो कि वित्तमंत्री खुद को नीति एवं सिद्धांतों की व्यापक दिशा तक ही सीमित रख बाकी बारीकियां विभिन्न मंत्रालयों पर छोड़ दें.

और अंत में, कृपया अप्रत्यक्ष करों से प्रत्यक्ष करों के अनुपात असंतुलन को बदतर करने से बचें. अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं और अमीरों से अधिक गरीबों पर चोट करते हैं. भारत में आय तथा संपदा संबंधी असंतुलन पहले से ही गंभीर चिंता की वजह रही है. अब हमें प्रत्यक्ष करों की अधिक हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है. अतः जीएसटी दरों को और तार्किक तथा निम्नतर किया जाना चाहिए. आशा करें कि पांच जुलाई को हम उपर्युक्त अवयवों के साथ सकारात्मक दिशा में ही बढ़ेंगे.

(अनुवाद: विजय नंदन)

बोधि वृक्ष

पर्यावरण चिंता

एक समय था, दुनिया में जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता था, तब वे मौसम की चर्चा करते थे. लेकिन आजकल कोई मौसम की चर्चा नहीं करता. आप चाहे जहां जायें, आप की दादी, नानी से लेकर आप के नाती-पोतों तक, हर कोई केवल अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है. अर्थव्यवस्था ही मुख्य मुद्दा बन गया है. अर्थव्यवस्था हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया का एक अधिक पेचीदा रूप है. साधारण रूप से जीवन जीने का मतलब है बस खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना. इसे अब बहुत ज्यादा जटिल बना दिया गया है. मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर लोग सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था आज की चिंता है और पर्यावरण भविष्य का मुद्दा है. ये विचार बदलना जरूरी है. पर्यावरण आज की समस्या है और आज की ही चिंता का विषय भी. अगर आज हमारा जीवन अद्भुत है, तो इसलिए नहीं कि शेयर बाजार में उथल-पुथल हो रही है या फिर किसी विशेष देश या समाज में विकास दर का प्रतिशत अच्छा है. हमारा जीवन अच्छा इसलिए है कि हम पोषक खाना खा रहे हैं, स्वच्छ जल पी रहे हैं, और शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं. ये पूरी तरह से भुला दिया गया है. आज जो भोजन हम खा रहे हैं, वह रसायनों से भरा हुआ है. जो पानी हम पी रहे हैं, वह जहर से भरा है, और जरूर, हवा तो जहरीली है ही. मिट्टी में ही जीवन पनपता है. मैं और आप, कुछ और नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी हैं. जो मिट्टी थी वह भोजन बन गया, जो भोजन था वह मांस और रक्त बन गया. अगर यह बात हमें आज समझ नहीं आती, तो उस दिन समझ में आ ही जायेगी, जब हम दफना दिये जायेंगे. अधिकतर लोगों को यह बहुत देर से समझ आता है, लेकिन हर किसी को कभी न कभी तो आ ही जाता है. दुर्भाग्यवश, मिट्टी एक ऐसी चीज है, जिसे अधिकतर लोग पर्यावरण की दृष्टि से नजरअंदाज कर देते हैं. हमने अपनी धरती की उपजाऊ मिट्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है. बर्फ का पिघलना, शायद जल्दी नजर आ जाता हो, पर हमने मिट्टी को जो नुकसान पहुंचाया है, वह ज्यादा खतरनाक है. **सद्गुरु जग्गी वासुदेव**

सांस्कृतिक मुहिम की जरूरत

डॉ अनुज लुगुन
सहायक प्रोफेसर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विवि, गया
anujlugun@cub.ac.in

प्राचीन भारत में मगध की धरती ने तर्क और बुद्धि की बात को पूरी दुनिया में आंदोलन की तरह प्रसारित किया था. प्राचीन भारत में वैदिकों की आस्थावादी कर्मकांडी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करनेवाले बुद्धिवादी दर्शन की जन्मस्थली मगध ही रही है. बुद्ध, जैन और आजीवक जैसे नास्तिकवादी संप्रदायों की तपोभूमि मगध रही है. राजगीर और उसके आस-पास की धरती इसकी ऐतिहासिक गवाह है. 483 ईपू प्रथम बौद्ध संगीति भी राजगीर में ही हुई थी. पिछले कुछ वर्षों से सवाल उठता रहा है कि आज जब उपर्युक्त संप्रदाय जनता के बीच लगभग प्रभाव में नहीं हैं, तब क्या मगध की वह तार्किकता और बौद्धिकता समाप्त हो गयी है? क्या वह विचार और दर्शन अब नहीं रह गया है?

पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में राजगीर जाना हुआ था. मगध के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आग्रह के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने का निवेदन किया था कि यह केवल वैवाहिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 'सांस्कृतिक मुहिम' है. उस वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुझे फिर से मगध की तार्किकता और बौद्धिकता के इतिहास पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ा है.

भारतीय सामाजिक जीवन में 'विवाह' सामाजिक ढांचे के अंदर की मजबूत संस्था है. हमारे यहां पुराने समय से ही विवाह की कई पद्धतियां रही हैं. आज भी विवाह की कई पद्धतियां हैं, लेकिन उन सबमें कर्मकांड, प्रदर्शनप्रियता और फिजूलखर्च है. वर-वधू के रिश्ते की बात की शुरुआत से लेकर विवाह के समापन तक कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें इतनी गहरी हैं, और उन्हें इस तरह आत्मसात किया गया है कि वे सामान्य तौर पर हमें दिखायी ही नहीं देती हैं. ब्राह्मण परंपरा में तो 'कुंडली' ही रिश्ते की प्राथमिक कड़ी है. कुंडली मिलेगी तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं. अगर कुंडली मिलान के दौरान लड़की 'मांगलिक' निकली तो लड़की के साथ ही उसके परिवार वालों पर आफत आ जाती है. मांगलिक लड़कियों के विवाह के जो उपाय ब्राह्मण पद्धति में बताये जाते हैं, उसमें न तार्किकता है और न ही कोई वैज्ञानिकता. उत्तर भारतीय समाजों में तो विवाह व्यवस्था ही अन्यायपूर्ण एवं सामंती लक्षणों से भरी हुई है. बाराती ऐसे आते हैं जैसे कि वे सामंत हों. उनके नाज-नखरों के तले लड़की वाले दबे रहते हैं. केवल धर्म और संस्कृति के नाम पर इस तरह के रस्मों का पालन किया जाता है. 'तिलक-दहेज' को तो अब लगभग सभी पद्धतियों, धर्मों और समुदायों ने स्वीकार कर लिया है. यहां तक कि वैवाहिक मामलों में सहज और उन्मुक्त रहनेवाले आदिवासी समाज की 'गोनोंग' प्रथा में भी अब कुरीतियां घुसने लगी हैं. यह मुख्यधारा की पद्धति से इस मामले में भिन्न है कि इसमें लड़की वालों को लड़के वाले मूल्य चुकाते हैं. इस तरह की वैवाहिक रस्में कर्मकांड और अंधविश्वास की उपज हैं. पुरोहितों का तर्क यह होता है कि रस्म पूरा किये बिना जीवन सुखी नहीं होता है. लेकिन, इस तर्क का क्या किया जाये, जिसमें पूरा परिवार ही बोझ से दब जाये? हमारे समाज में स्त्री उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की जड़ें हमारी विवाह पद्धतियों से भी जुड़ी हुई हैं.

आमतौर पर माना जाता है कि गरीब और अशिक्षित लोग ही अंधविशवास और पाखंड को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कथित सभ्य और शिक्षित लोग भी इससे मुक्त नहीं है. कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग दहेज प्रथा के विरुद्ध निबंध लिखकर अफसर बनते हैं, वे तक दहेज से मुक्त नहीं है. अब तो जो जितना बड़ा ओहदा वाला अधिकारी होता है, उसके दहेज की रकम भी उतनी ही भारी-भरकम होती है. दहेज निरोधक कानून के बावजूद समाज में यह धड़ल्ले से न केवल प्रचलित है, बल्कि इसे लोग 'स्टेटस सिंबल' की तरह देखते हैं.

आमतौर पर माना जाता है कि गरीब और अशिक्षित लोग ही अंधविशवास और पाखंड को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कथित सभ्य और शिक्षित लोग भी इससे मुक्त नहीं है. कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग दहेज प्रथा के विरुद्ध निबंध लिखकर अफसर बनते हैं, वे तक दहेज से मुक्त नहीं है.

ऐसे दौर में राजगीर में संपन्न उस वैवाहिक कार्यक्रम की तार्किकता और सार्थकता अच्छी लगती है. थकाऊ और उलझाऊ कर्मकांड के बजाय सीधे सरल तरीके से वर-वधू को बाराती-और सराती ने मिलकर शुभकामनाएं दीं. वर-वधू समेत दोनों पक्षों ने सामाजिक असामनता, अंधविश्वास और गरीबी दूर करने की प्रतिज्ञा की. सबसे विलक्षण तो स्त्रियों द्वारा गाये जा रहे विवाह के गीत थे, जिनमें शोषण से मुक्ति, गरीबी, अशिक्षा दूर करने और समानता लाने के बोल थे. ऑर्केस्ट्रा या मंचीय नाच जैसी सामंती अश्लीलता के बजाय जनता को जागरूक बनानेवाले नाटकों का मंचन दुर्लभ था. फिल्मी गीतों के बजाय जनगीत ज्यादा सार्थक थे. उपहारों की जगह वहां उपस्थित जन सांप्रदायिकता एवं जातिवाद के विरुद्ध समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अपना पक्ष रखकर वर-वधू को शुभकामनाएं दे रहे थे. मगध क्षेत्र में अर्जक संघ एवं युवक संघ जैसी सामाजिक संस्थाएं इस तरह की सांस्कृतिक मुहिम चला रही हैं. इनके द्वारा संचालित विवाह पद्धति दहेज मुक्त होती है. महिलाएं भी विवाह करा सकती हैं. प्रतिज्ञा, माल्यार्पण, शुभकामना जैसे तीन सामान्य चरणों में विवाह पूरा हो जाता है. अर्जक संघ का जातिवाद के खिलाफ आंदोलन का अपना इतिहास है. बिहार में यह शहीद जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में अपने रेडिकल विचार के साथ प्रसारित हुआ है. इसे देख लगता है कि मगध की धरती में अब भी तार्किकों का अस्तित्व है. मानववादी होने की बात कहनेवाली ये संस्थाएं भले ही कम हों, लेकिन उनके इतिहास की जड़ें मजबूत हैं. हम इनसे तर्क और विचार लेकर मौजूदा कर्मकांडों और पाखंडों से मुक्त होने की लड़ाई लड़ सकते हैं.

आपके पत्र

भीषण गर्मी और पावर कट

इस वर्ष भीषण गर्मी की मार से लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं और उस पर बिजली की सही आपूर्ति भी नहीं हो रही है. पलामू के पोलपोल गांव में बीते 20 दिनों से बिजली आम लोगों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है. इस क्षेत्र में राजहरा ग्रिड से बिजली आपूर्ति की जाती है, पर इसकी सेवा पिछले कुछ दिनों से काफी दयनीय हो गयी है. लोग इस भयंकर गर्मी में झुलसने को मजबूर हो गये हैं. साधन रहते हुए भी बिजली के आभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. यहां पर बिजली की अनियमित आपूर्ति का एक प्रमुख कारण यह भी है कि स्थानीय कल-कारखानों को चलाने के लिए आम जनता के हिस्से की बिजली काट कर उन व्यावसायिक संस्थानों को आपूर्ति करायी जा रही है. ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों से यही अनुरोध है कि इस मसले में गंभीरता से लेते हुए इस क्षेत्र के लोगों को पावर कट से राहत पहुंचाएं.

धीरज पाठक, पलामू

पेड़ लगाना फैशन नहीं, है गंभीर मुद्दा

इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस कई जगहों पर काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. कई लोगों ने पेड़ लगाते समय अच्छी-अच्छी सेल्फी भी ली. सोशल मीडिया पर इसके लिए खूब तारीफ भी मिली. हजारों लाइक मिले. इसमें कई नेतागण भी पीछे नहीं रहे. फोटो करवा कर उसे अखबारों में भी छपवाया गया. पर सबसे बड़ा सवाल रह गया कि क्या सिर्फ यह एक ही दिन पर्यावरण दिवस मनायी जानी चाहिए या पूरे साल मनाया जाना चाहिए? वास्तविकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती जल रही है. ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि 2100 तक 50 से 100 देश विश्व मानचित्र से गायब हो जायेंगे या फिर उनका कुछ ही हिस्सा बचा होगा. काफी देर तो हो ही चुकी है, पर इतना नहीं कि इसे न रोका जा सके. लेकिन यह भी सच है कि इस तरह साल में एक या दो दिन पेड़ लगा कर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा.

पालूराम हेंब्रम, सलगाझारी

अमेरिकी निरंकुशता को चुनौती देते रूस और चीन

आज अमेरिका अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दुनियाभर के कमजोर और गरीब राष्ट्रों के खिलाफ बात-बात पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है. ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पतन के बाद अमेरिकी वर्चस्ववादी स्वभाव ने पूरे विश्व को एक अमेरिकी उपनिवेश बनाकर रख दिया है. जिसे चाहो धमका दो, उस पर अनावश्यक और झूठा आरोप लगाकर उस पर युद्ध थोपकर किसी भी देश, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति आदि सभी कुछ नष्ट कर देना, अमेरिकी साम्राज्यवादियों के बायें हाथ का खेल बन कर रह गया है. अब रूस और चीन आपस में संधि करके अमेरिकी रवैये का विरोध करने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं. अगर रूस, चीन और भारत का एक संगठन बन जाये, तो यह संगठन 'नाटो' पर भारी पड़ेगा. रूस और चीन का एक साथ आना अमेरिकी निरंकुशता की नकेल कसने के लिए बहुत जरूरी है.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

कुछ अलग

अयोध्या नगर के सिंदूरिया

अरविंद दास
पत्रकार एवं लेखक
arvindkdas@gmail.com

वर्षों पहले किसी पत्रिका में एक लेख पढ़ा था- शादी हो तो मिथिला में. जाहिर है, इस लेख में जानकी और पुरुषोत्तम राम की शादी की चर्चा के साथ मिथिला की मेहमाननवाजी और संस्कृति का जिक्र था. पिछले कुछ दशकों में मिथिला क्षेत्र से भारी मात्रा में विस्थापन और पलायन हुआ है, लेकिन शादी-विवाह के लिए मध्यवर्ग वापस गांव-घर लौटता रहा है.

पिछले दिनों जब ऐसे ही एक शादी में भाग लेने का मौका मिला, तो इस लेख की याद हो आयी. मिथिला की संस्कृति शादी-विवाह के अवसर पर अपनी संपूर्णता में निखरकर आती है. बात गीत-संगीत की हो, मिथिला पेंटिंग-सिक्की कला की हो या खान-पान में विन्यास की. इनमें एक निरंतरता दिखती है, पर ऐसा नहीं है कि इनमें बदलाव नहीं आया है.

अस्सी के दशक में ही 'कैसेट कल्चर' ने शादी-विवाह में 'लाउड स्पीकर' और तकनीक का प्रचलन बढ़ा दिया था. यही दौर था जब पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा के गाये लोक गीतों की धूम मची थी. आज भी शादी-विवाह का आंगन उनके गाये गीतों से गूंजता रहता है. बात चाहे 'माय हे अयोध्या नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल हे' की हो या 'मोहे लेलखिन सजनी मोर मनवा पहुनवा राघो' की. प्रसंगवश, शारदा सिन्हा अपनी 'मैथिल पहचान' को बार-बार रेखांकित करती रही हैं. वैसे भोजपुरी भाषा-भाषियों के बीच और हिंदी फिल्मों में गाये चर्चित गीतों के माध्यम से उनकी पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक तक है. पर ऐसा नहीं है कि नयी पीढ़ी मैथिली लोक-गीतों से विमुख है. पसाहीन कुमरम, लावा भुजाई, सिंदूर दान जैसी रस्मों में यह दिखायी देती है. हां, जहां कहीं इनकी टेक टूटती है, वहां घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाएं संभाल लेती हैं.

पहले शादी-विवाह के दौरान महिलाओं की उपस्थिति परिवार के अंतःपुर में ही दिखती थी, वहीं पिछले कुछ वर्षों में बारात में भी वे नजर आने लगी हैं. सच तो यह है कि बारात में पुरुष बारातियों से ज्यादा उत्साह इनमें ही दिखता है.

मिथिला में शादी के बाद नवविवाहित वर-वधू जिस घर में चार दिन तक रहते हैं, उसे कोहबर कहा जाता है. कोहबर की रस्मों के साथ मिथिला पेंटिंग लिपटी हुई है. शादी के अवसर पर जिस कागज में भरकर सिंदूर वर पक्ष की तरफ से वधू के यहां भेजा जाता है, उसमें से दो कोहबर, एक दशावतार, एक कमलदह और एक बांस लिखे होने का रिवाज आज भी है, पर समयाभाव के कारण अब एक दिन के बाद ही द्विरागमन (लड़की की विदाई) की प्रथा चल पड़ी है.

साथ ही शादी-बारात में खान-पान के समय जो रच-रच कर खाने का चलन था, वह भी अब कुछ कम हुआ है. इन वर्षों में शादी के समय बारातियों को जो गाली गीत (डहकन) से नवाजने की परंपरा थी, वह कहीं विलुप्त हो रही है. समाजशास्त्रीय दृष्टि से नये संबंधों के प्रगाढ़ बनाने में यह एक मजबूत आधार का काम करता था.

देश दुनिया से

चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध के मायने

चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध गतिरोध की स्थिति में है. दोनों देशों के बीच रणनीतिक अविश्वास गहरा रहा है. इस गतिरोध को तोड़ने के लिए जो राजनीतिक कदम उठाने चाहिए, उसकी कमी है. यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या पारंपरिक अर्थों में यह एक व्यापार युद्ध है? शुरुआत में, दोनों पक्ष मानते थे कि अमेरिका व्यापार युद्ध के माध्यम से चीन-अमेरिका संबंधों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन, ऐसे दृष्टिकोण इतने ठोस नहीं थे. पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को हल करना था और अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक तरह से वे उपयुक्त थे. लेकिन, चीन की दिग्गज तकनीक कंपनी हुआवेई पर अमेरिका की सख्ती चीनी समाज की इस समझ को पुष्ट करती है कि अमेरिका का इरादा सिर्फ व्यापार असंतुलन को दूर करने का नहीं था, बल्कि वह चीन की उच्च तकनीक विकास क्षमता को भारी झटका भी देना चाहता था. अगर चीन समझौता करता है, तो इसका मतलब हुआ कि वह अमेरिका को भविष्य में चीन-अमेरिका संबंधों को परिभाषित करने और फिर से उसे आकार देने का अधिकार प्रदान करता है. इससे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.

GLOBAL TIMES

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है